भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

23 AUG 2023

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GE 668433

हम मनीष कुमार मिश्र एवं अल्का मिश्रा क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव पं० नगीना सेवा ट्रस्ट मिश्रपुर जोकहरा लाटघाट आजमगढ़ शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते है –

1. यह कि हमारी सोसाइटी /ट्रस्ट द्वारा बाल चन्द्रकला नगीना कॉलेज ऑफ़ फार्मेसी मिश्रपुर, जोकहरा, लाटघाट, आजमगढ़ नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी /ट्रस्ट के नाम जोकहरा लाटघाट जमीन मवाही में संख्या 1276 मि०, 1278 मि०, 1279 मि०, 1281 मि०, 1283 मि०, 1289 मि० एवं 1301 मि० रकबा क्रमशः .090, .071, .169, .20, .227, .253, .113 एवं 1.933 हेक्टेयर भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 1276 मि०, 1278 मि०, 1279 मि०, 1281 मि०, 1283 मि०, 1289 मि० एवं 1301 मि० रकबा क्रमशः .090, .071, .169, .20, .227, .253, .113 एवं 1.933 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव ट्रस्ट की बैठक दिनांक 27.01.2020 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरिक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरिक्षण समिति के समक्ष निरिक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली के नियमो के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउंसिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बन्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउंसिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बन्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद / विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/ सम्बन्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय / महाविद्यालय /आई0 टी0 आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाए एवं कार्यशालाए आदि को फार्मेसी काउंसिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् के मानको के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

1/9/2023

NOTARY

12. यह कि, शासन/ परिसद द्वारा निर्गत निर्देशों/ आदेशों का भलीभाती पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी प्रकार स्थलीय निरिक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पाई जाती है तो परिषद् की निरिक्षण एवं संबंधता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मै घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि कोई भी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाए जाते है तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकती है ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

ह0 सचिव

ह0 अध्यक्ष

Certified that Sri/Smt. ... S/o ... aged about year ... this affidavit before me ... A.M./P.M. ... of Notaries ... Act 1952 ... have said the contents ... over and ... satisfied ... in person ... Advocate.